प्रारुप— 2.2

परियोजना का नाम — राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार — गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई— 10.00 किमी0)

<u>परियोजना की वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण—पत्र</u>

(संलग्न है)

अधिशासी अभियन्ता
ह0 /
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
प्रयोक्ता एजेन्सी

...अभियन्ता
अस्थ... लो0नि0विभाग
...ली (टि0ग0)

संख्या———— / III(2) / 16–44(प्रा0आ0) / 2016

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 26 जुलाई, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विभिन्न 07 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, टिहरी गढ़वाल द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 55.00 किमी0 + 01 पुलिया तथा लागत ₹ 222.91 लाख है, पर **विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 222.91 लाख (रू0 दो करोड़ बाईस लाख इक्यानब्बे हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 07 कार्यों हेतु ₹ 0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय था आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क / भवन / सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण–00 –24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

अभियन्ता
अधीक्षण ... लो0नि0विभाग

(ix)— स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सर्बंधित अभियन्ता का होगा।

(x)— वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31—03—2017 तक सुनिश्चि जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता ह उसका व्यय सगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्ग है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वत: निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016—17 में लोक निर्माण विभाग व सं0—22—लेखाशीर्षक—5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—04 जिला तथा अन्य आयोजनागत—800—अन्य व्यय—03 राज्य सेक्टर—02 नया निर्माण कार्य—24 वृहत निर्माण कार्य के : जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग—2 के अशासकीय संख्या— 338(A)/XXVII(2)/2016 दि जुलाई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्या
प्रभारी सचिव

संख्या—2091/III(2)/16—44(ग्रा0स्था0)/2016 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

15. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
16. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
17. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, टिहरी गढ़वाल।
18. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
20. वित्त अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।
21. अधीक्षण अभियन्ता, आठवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
22. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली।

आज्ञा से,

(एस0एस0 पांगत
उप सचिव)

...अभियन्ता
अस्था... लो0नि0विभाग
घनसाली (टि0ग0)

संख्या-2041 / II(2)/16-44(सामान्य)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	विभागीय टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत रगड़ी सम्पर्क मोटर मार्ग का किमी. 02 से आगे ग्राम मिमलेत तक नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	18.66	
2	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत भुयालगाव गौरिया मोटर मार्ग का चापी-नैल-गैंदली-मल्ले-शाख-चौरा-मटवाड़ी-मल्याकोट तक मोटर मार्ग का विस्तारीकरण का कार्य। (प्रथम चरण)	14.00	43.23	
3	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत [illegible]-मढ़ सिन्दवालगांव-कन्यास-भाटगांव-[illegible]-कोटगमा-केमवाली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	15.44	
4	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत [illegible]-कोटगा-[illegible]-[illegible] (केमर) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00	35.98	
5	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत पंवार गैंदली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10.00	51.40	
6	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत कोट(गोनगढ़)-चौदाल-बटगांव-लोदस-आर्द-नैलवाड़ा-श्रीकोटगांव-[illegible](देवल) तक मोटर मार्ग का बालगंगा नदी पर सेतु सहित नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	14.00+ 72 mtr.	52.02	
7	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र-घनसाली के विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत सकण्डा-[illegible] मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.00	6.18	
	योग	55.00+ 01 bridge	222.91	

अधिशासी अभियन्ता
[illegible] लो0नि0विभाग,
घनसाली (टि0ग0).

(कुल रु सात [illegible])

([illegible])
उप स[illegible]